3. दिल्ली पुलिस में जनशक्ति की स्थिति

पुलिस संगठन हेतु कुशल जनशक्ति प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था के रखरखाव व पुलिस बल के प्रभावी कामकाज हेतु पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता तथा इसकी उचित तैनाती आवश्यक है। विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों हेतु जनशक्ति की तैनाती के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने तथा कमियों को कम करने के लिए समय पर भर्ती सुनिश्चित करने हेतु कुशल रणनीति की आवश्यकता होती है जिससे सभी क्षेत्रों और इकाइयों को पर्याप्त पुलिस कवरेज प्रदान किया जाता है तथा अपराधों के ग्राफ को नियंत्रण में रखा जाता है।

3.1. संस्वीकृत बनाम कर्मियों की वास्तविक संख्या

1 अप्रैल 2019 को, दिल्ली पुलिस की संस्वीकृत संख्या 89,670[4] थी, जिसके प्रति वास्तविक संख्या 79,621 अर्थात 88.8 *प्रतिशत* थी। 2014-19 के दौरान संस्वीकृत संख्या के प्रति दिल्ली पुलिस में जनशक्ति की स्थिति तथा इन कमियों को प्रतिशतता में चार्ट 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1: दिल्ली पुलिस में संस्वीकृत तथा वास्तविक संख्या का विवरण
(वर्ष की पहली अप्रैल को)

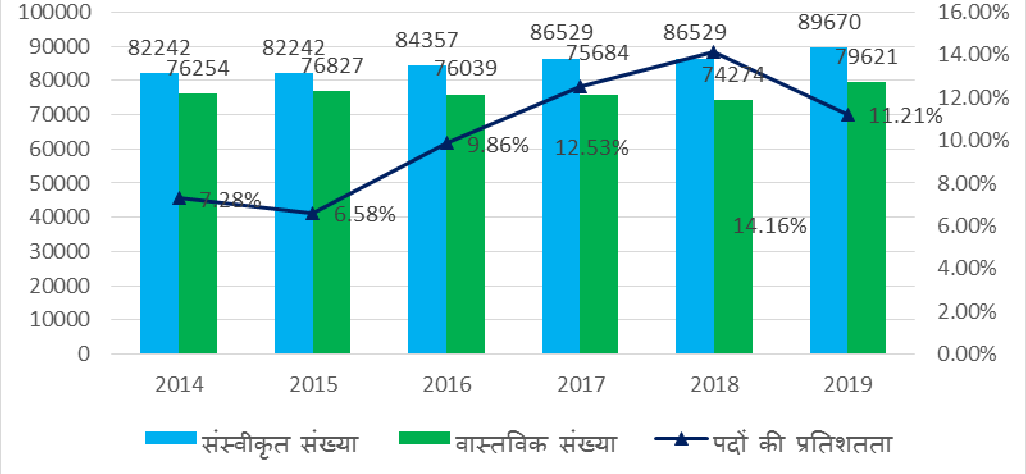

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान जनशक्ति की उपलब्धता में थोड़ा सुधार हुआ है। यह मुख्यतः 2016 में आरंभ तथा 2018 में समाप्त तथा उसके बाद कई चरणों में चली भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 7307 कांस्टेबलों के चयन के कारण हुआ था (पैराग्राफ 3.3 में विस्तार से चर्चा की गई)। दिल्ली पुलिस (01 अप्रैल 2019 को) में पुलिस कार्मिक का संस्वीकृत तथा वास्तविक

[4] नागरिक पदों और ग्रुप डी को छोड़कर

संख्या की कैडर-वार (निम्न अधीनस्थों[5], उच्च अधीनस्थ[6] तथा अधिकारियों[7]) स्थिति का विवरण चार्ट 3.2 में दिया गया है।

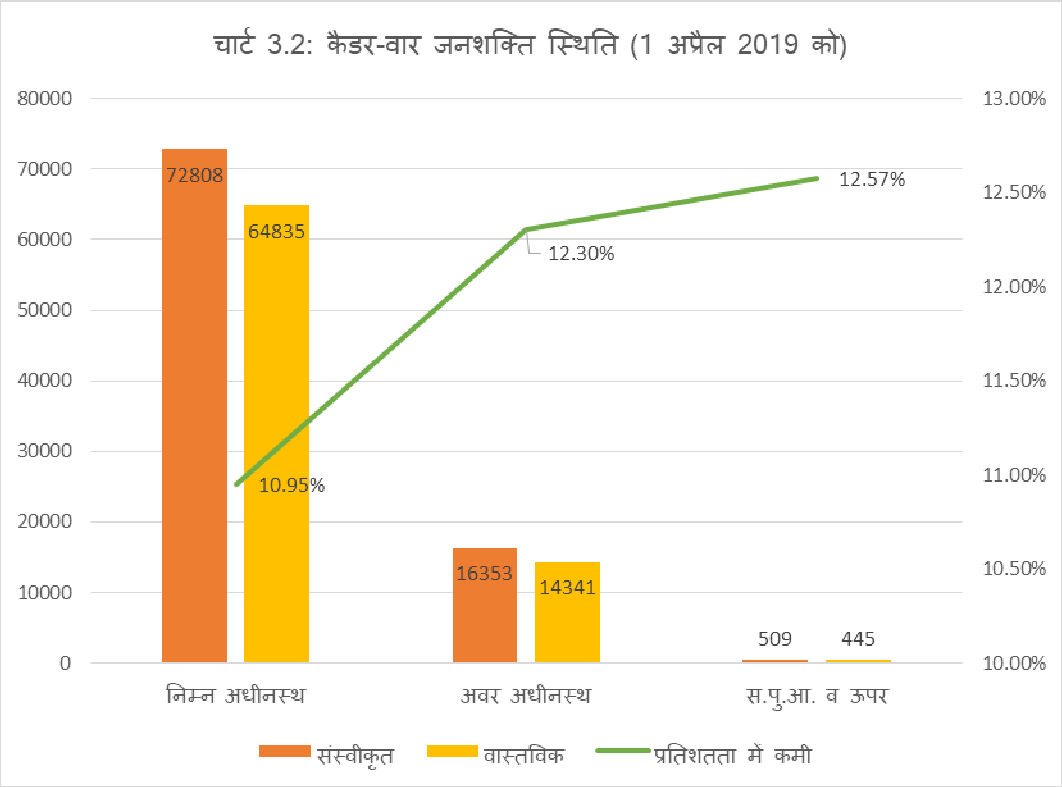

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

मौजूदा संस्वीकृत संख्या के अलावा, 50,000 से अधिक अतिरिक्त पदों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को कई प्रस्ताव[8] (अनुलग्नक -2 में प्रस्तावों के कालानुक्रमिक विवरण) प्रस्तुत किये गए थे। ये प्रस्ताव समय के साथ बनाई गई नई पुलिस इकाइयों के कारण थे, जो कि पहले से ही अन्य इकाइयों से निकाले गए कर्मियों के साथ काम करना शुरू कर चुके थे (जैसे स्वात यूनिट, 370 पीसीआर वैन[9], नए पुलिस जिले/स्टेशन आदि), या अलग पुलिस इकाइयों के रूप में कार्य शुरू करने के लिए अतिरिक्त पदों की स्वीकृति का इंतजार कर रहे थे (जैसे कि स्पेशल सैल की उत्तर-पूर्वी रेंज)।

---

5 कान्स्टेबल व प्रधान कान्स्टेबल

6 स.उ.नि., उ.नि. व निरीक्षक

7 ए.सी.पी. व ऊपर

8 ये प्रस्ताव ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट (बीपीआरएण्डडी), आंतरिक समिति तथा गृह मंत्रालय की उच्च-स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आधारित थे।

9 गृह मंत्रालय ने फरवरी 2013 में बिना अतिरिक्त जनशक्ति की मंजूरी के 370 पीसीआर वैन को मंजूरी दी।

इन प्रस्तावों को दिल्ली पुलिस द्वारा अलग-अलग तरीके से भेजे गए थे। जून 2015 में, गृह मंत्रालय ने इन सभी प्रस्तावों को समग्र रुप से देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसे बाद में गृह मंत्रालय के निर्देश पर समेकित (जूलाई 2015[10]) किया गया।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 53,959 अतिरिक्त पदों को प्राथमिकता-1 (15,222 पद), प्राथमिकता-II (15,239 पद) व प्राथमिकता-III (23,498[11] पद) के रुप में स्वीकृति हेतु प्रस्तावों को श्रेणीबद्ध (अगस्त 2016) किया गया।

15,222 पदों के प्राथमिकता-I के प्रस्ताव के प्रति गृह मंत्रालय द्वारा 12,518 पदों को अनुमोदित किया गया (अप्रैल 2018) था। इन 12,518 पदों में से, 3,139[12] पदों को प्रारंभिक रूप से प्रभावी किया जाना था और शेष 9379 पदों को क्षेत्र में इन कर्मियों की तैनाती के आधार पर प्रभावी किया जाना था; तथा उपरोक्त तैनाती के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के कामकाज की गहन समीक्षा भी की जानी थी।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन अतिरिक्त 3139 संस्वीकृत पदों हेतु भर्ती नहीं की थी। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के कार्यों की समीक्षा किये जाने हेतु, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मासिक कार्यवाही रिपोर्ट्स प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये थे (जून 2018)। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा सितम्बर 2018 से अप्रैल 2019 तक मासिक रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में दिल्ली पुलिस की विफलता के कारण, शेष 9379 अनुमोदित पद अभी भी प्रभावी नहीं हुए थे।

चूंकि शेष 9379 पदों का सृजन भर्ती के अधीन था तथा 3139 अनुमोदित पदों प्रति कर्मियों की तैनाती, रिक्त पदों के प्रति कर्मियों की तत्काल भर्ती आवश्यक है। पैरा 3.3 में भर्तियों से सम्बंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि दिल्ली पुलिस के कार्यों/कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय को

---

[10] समेकित 89 प्रस्ताव (47 प्रस्ताव 1998-2015 की अवधि के बीच गृ. मं. को अग्रेषित किए गए और 42 प्रस्ताव नए थे।

[11] 15775+7723 (541 एमपीवी के लिए (सितम्बर 2016 में सम्मिलित))

[12] नये पुलिस जिलों तथा पुलिस स्टेशन हेतु

भेजी गई और गृह मंत्रालय के साथ बाद की बैठक के दौरान चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस ने आगे कहां कि जून 2020 तक, गृह मंत्रालय में विभिन्न रैंक के 52,514 पदों के 118 जनशक्ति प्रस्ताव विचाराधीन है और ये प्रस्ताव उनके भविष्य की आवश्यकताएं हैं। लेखापरीक्षा इस उत्तर से सहमत नहीं है कि ये सभी प्रस्ताव भविष्य की आवश्यकताओं के लिए है, क्योंकि इन प्रस्तावों में मुख्य रुप से उन इकाईयों की जनशक्ति सम्मिलित है जो कि पहले से ही मौजूदा इकाइयों से लिए गए जनशक्ति के साथ काम करना शुरु कर चुके हैं जैसे लंबित प्राथमिकता-I प्रस्तावों में एक 370 पीसीआर वैन के लिए अतिरिक्त 3,684 पद का प्रस्ताव जो पहले ही फरवरी 2013 में बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं।

सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि 3086[13] अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

3.2 अन्य राज्यों के साथ तुलना

नवीनतम वीपीआरएंडडी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस संगठनों पर डाटा 2019 (दिसम्बर 2019 में जारी) शीर्षक से, विभिन्न राज्यों मे पुलिस कर्मियों की प्रति लाख जनसंख्या थी जैसा कि निम्नवत है (जनवरी 2019 को)।

चार्ट 3.3: प्रति लाख जनसंख्या पुलिस कर्मी (1 जनवरी 2019 को)

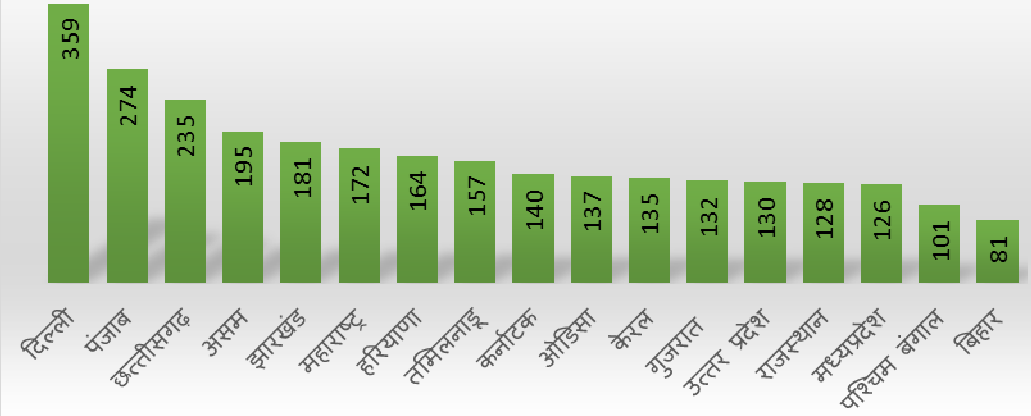

स्रोतः पुलिस संगठनों के 2019 के आकंड़ो पर बीपीआरएण्डडी की रिपोर्ट

यह पाया गया कि 'प्रति लाख जनसंख्या पुलिस कर्मी' डाटा के संदर्भ में, दिल्ली पुलिस अन्य मुख्य राज्यों से अधिक बेहतर है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशंसित दर अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस कर्मी है।

[13] प्राथमिकता-I प्रस्ताव के शेष 9,379 पदों में से, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है, लेकिन पहले से ही बनाए गए 3,139 पदों के प्रति भर्तियों के लिए सृजन की प्रतीक्षा है।

3.3 भर्ती

दिल्ली पुलिस में, निम्न अधीनस्थ कैडर में कांस्टेबल रैंक तथा उच्च अधीनस्थ कैडर में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) रैंक पर भर्तियां की जाती है। 1 अप्रैल 2019 को, दिल्ली पुलिस में 10,049 रिक्त पदें थी जिनमें से क्रमशः 7,973 व 2,012 निम्न अधीनस्थ व उच्च अधीनस्थ कैडरों में थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसआई की भर्तियाँ नियमित रूप से की गयी जबकि कांस्टेबल स्तर पर भर्ती नियमित नहीं थी (चार्ट 3.4)।

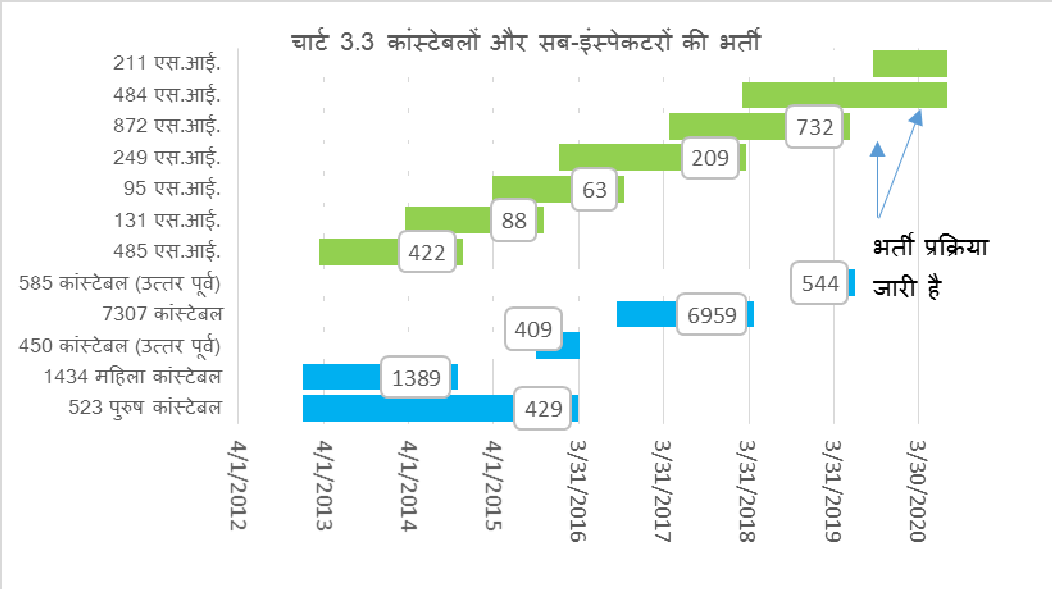

नोट: बार की चौडाई भर्ती प्रक्रिया के पुरा होने में लगने वाले समय को इंगित करती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष में भर्ती प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों की विज्ञापन की संख्या का उल्लेख, चार्ट के अंदर उल्लेखित डाटा भर्ती प्रक्रिया के प्रति नियुक्त होने की संख्या इंगित करती है।

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गत पांच वर्षों के दौरान, कांस्टेबलों की नियमित/सामयिक भर्ती के स्थान पर, दिल्ली पुलिस ने 2016[14] में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) के माध्यम से 7307 कांस्टेबल पदों हेतु केवल एक मुख्य भर्ती तथा आठ उत्तर पूर्वी राज्यों से वर्ष 2015 व 2019 में क्रमशः 450 व 585 कांस्टेबल के पदों हेतु विशेष अभियान के तहत भर्ती की।

परिणामस्वरुप, 2013-18 के दौरान दिल्ली पुलिस के निम्न अधीनस्थ कैडर में कमी में निरंतर वृद्धि हुई तथा केवल 2018-19 में 6434 कांस्टेबल के पदग्रहण से इस वृद्धि में थोड़ी कमी हुई (चार्ट 3.5)।

[14] 2018 और 2019 में कार्यग्रहण

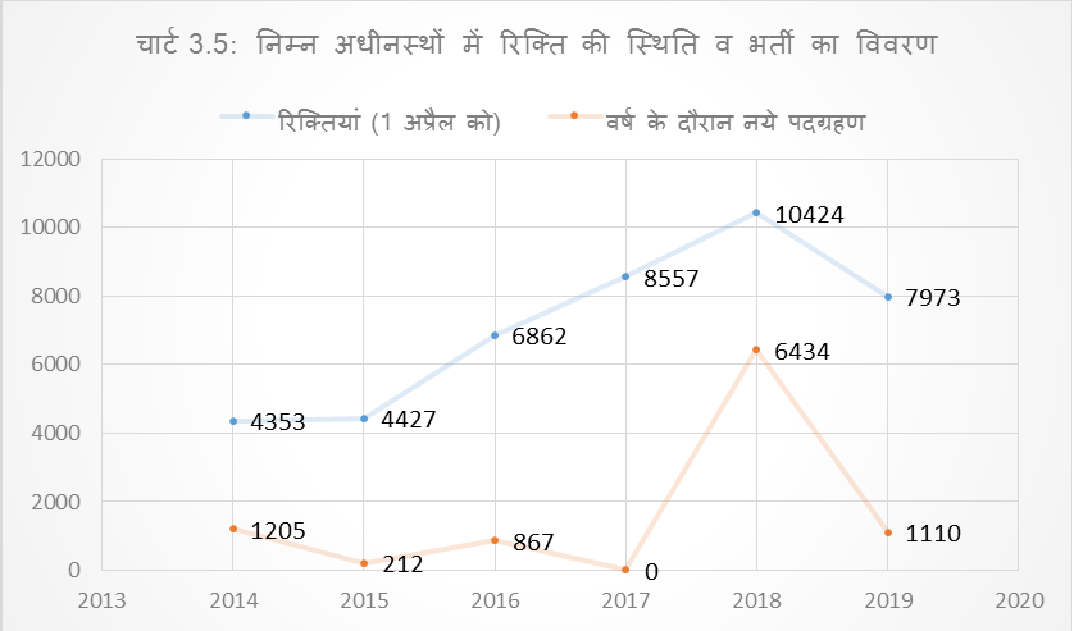

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 1 अप्रैल 2019 को कांस्टेबल हेतु 7973 रिक्त पदों के प्रति बाह्य एजेंसियों[15] के माध्यम से 5243 कांस्टेबल के चयन को प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, लिखित परीक्षा कराये जाने हेतु एजेंसी का चयन अभी भी किया जाना बाकी है (सितम्बर 2019)। इस प्रकार, निम्न अधीनस्थ कैडर में कमी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तथा चयनित उम्मीदवारों की दिल्ली पुलिस (सामान्यतः लगभग डेढ़ से दो वर्ष लगते है) में पदग्रहण, लगभग एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण तथा उसके पश्चात तैनाती प्राप्त करने के समय तक कई गुणा वृद्धि (पदोन्नतियों एवं सेवानिवृतियों[16] के कारण) अपेक्षित है।

दिल्ली पुलिस को ऐसे सक्षम व प्रभावशाली तरीके से भर्ती प्रक्रिया नियोजित करनी चाहिये जो सेवानिवृतियों/पदोन्नतियों के कारण अगले 2-3 वर्षों में उत्पन्न होने वाले रिक्त पदों पर भी विचार करता हों।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब (जून 2020) में उल्लेखित किया कि 2605 रिक्त पदों की भर्ती चल रही है तथा 7393 रिक्त पदों की विज्ञप्ति की जानी है। उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि रिक्त पदों के विज्ञापन के समय दिल्ली पुलिस निकट

---

[15] पूरे देश में 10 केन्द्रों पर कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और उसके बाद दिल्ली में शारीरिक परीक्षण। इस परिपेक्ष्य में परीक्षा कराने के लिए एसएससी द्वारा 2019-20 तक असमर्थता व्यकत की गई।

[16] दिल्ली पुलिस वर्तमान वर्ष के शेष महीनो के दौरान सेवानिवृति का लेखा-जोखा करती है लेकिन भर्ती प्रक्रिया लगभग तीन वर्ष लेती है (कांस्टेबल के लिए 10 महीने की प्रशिक्षण अवधि और एस.आई. के लिए 12 महीने शामिल है)

भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्त पदों का लेखांकन नहीं कर रही है। इस परिदृश्य में, चूंकि भर्ती प्रक्रिया की परिणति के लिए लगभग दो साल लगते है और 7393 रिक्त पदों का अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया है, दिल्ली पुलिस ऐसी स्थिति में नहीं होगी कि अपनी जनशक्ति की कमी को कम कर सके।

3.4. जनशक्ति का प्रशिक्षण

नये भर्ती किए गये पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने को छोड कर, दिल्ली पुलिस सेवारत पुलिस कर्मी को अपग्रेड तथा हथियार, जांच पड़ताल, आईटी आदि से संबंधित कौशल बढाने हेतु विशेष प्रशिक्षण का क्रियान्वित करती है। लेखापरीक्षा ने चयनित विशेष प्रशिक्षणों से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया तथा निम्नलिखित पाया:

- 2016-19 की अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिये योजना बनाई तथा जिन्हें वास्तविक रूप से प्रशिक्षण दिया गया उनमे औसतन 42 *प्रतिशत* की गिरावट थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह गिरावट दिल्ली पुलिस के जिला/इकाइयों से अपर्याप्त नामांकन के कारण थी क्योंकि वे अत्यावश्यक फील्ड ड्यूटी के कारण, इस उद्देश्य हेतु अपने कर्मियों को भेजने में असमर्थ थे। जो यह भी दर्शाता है कि जनशक्ति की कमी से पुलिस कर्मी के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण दो केन्द्रों पर किया जाता है (पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, झरोदाकलां तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, राजेंद्र नगर)। वर्ष 2017 के दौरान पांच विशेष पाठ्यक्रमों से संबंधित 138 पुलिस कर्मी के तैनाती विवरणों की निरीक्षण जांच में यह परीक्षण करने के लिए किया था कि कर्मी को उसी फील्ड से संबंधित इकाई में तैनात किया गया है जिसमें वे प्रक्षिशित थे। हालांकि, यह पाया गया था कि 42 *प्रतिशत* प्रशिक्षुओं[17] को उन इकाइयों में तैनात नहीं किया गया था, जिनमें वे प्रशिक्षित थे।

17

प्रशिक्षण	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	उचित स्थान पर तैनात नहीं किये गये प्रशिक्षुओं का *प्रतिशत*
कमांडो प्रशिक्षण	60	22
आर्थिक अपराध, वैज्ञानिक विवेचना	19	84
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	29	7
साइबर फोरेंसिक	24	87
टीओटी-वैद्युत एवं दैनिक विवेचना	6	100

3.5. दिल्ली पुलिस में महिलायें

अपर्याप्त लिंग प्रतिनिधित्व वाली पुलिस बल महिलाओं की सुरक्षा हेतु बने कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में एक प्रमुख व्यावहारिक बाधा है तथा साथ ही पुलिस बल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को दर्ज कराने में वृद्धि कराता है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा (2009, 2013) सकारात्मक कार्यवाहियों के माध्यम से पुलिस में महिलाओँ के कुल प्रतिनिधित्व में 33 *प्रतिशत* तक वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही, भा.स. ने (मार्च 2015) महिलाओं हेतु दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर तक गैर राजपत्रित पदों की सीधी भर्ती में समस्तरीय रूप से एवं प्रत्येक श्रेणी (आ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. तथा अन्य) में 33 *प्रतिशत* आरक्षण अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महिलाओं के लिये 33 *प्रतिशत* आरक्षण अनुमोदन करने के पश्चात, दिल्ली पुलिस ने अपनी सभी भर्तियों में महिलाओं के आरक्षण को लागू कर दिया और महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2014 में 7.16 *प्रतिशत* से बढ़कर 2019 में 11.76 *प्रतिशत* हो गया जैसा कि चार्ट 3.6 मे दिया गया है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जाँच किए गए छः पुलिस जिलों में कुल पुलिस कर्मियों के *प्रतिशत* में महिलाओं का 8.2 *प्रतिशत* समावेश था।

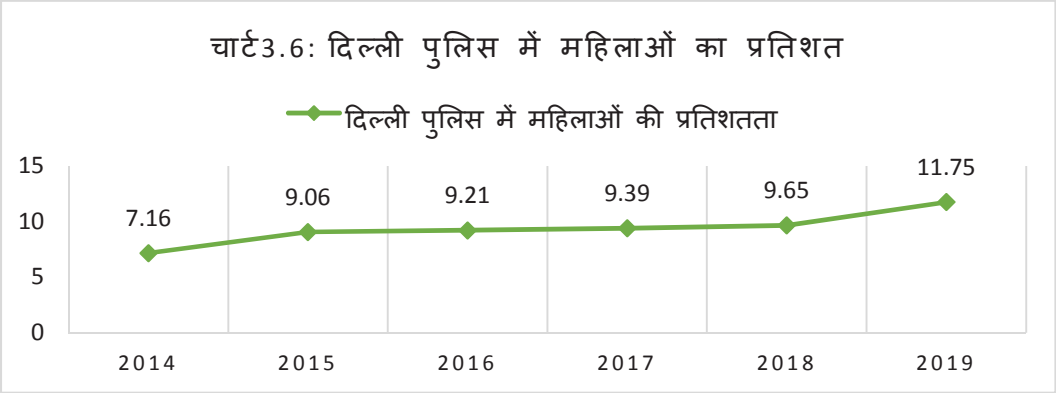

स्रोत: दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी

हालांकि, दिल्ली पुलिस में महिला का कार्मिक अनुपात प्रतिशतता के वर्तमान रुझान को ध्यान मे रखते हुए सम्पूर्ण दिल्ली पुलिस में 33 *प्रतिशत* महिलाओं के लक्ष्य की प्राप्ति एक बहुत कठिन कार्य प्रतीत हो रहा है, जिसमे बहुत समय लग सकता है, जब तक महिलाओं की भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान न चलाया जायें।

दिल्ली पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 *प्रतिशत* तक बढाने के लिये सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा एक सकारात्मक कार्रवाई के तौर पर विशेष भर्ती अभियान पर विचार किया जायें।

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि वर्तमान एवं भविष्य की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 *प्रतिशत* आरक्षण को लागू किया गया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस में महिलाओं के कुल प्रतिनिधित्व को 33.33 *प्रतिशत* तक वृद्धि करने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया है।

3.6. कैडर की समीक्षा

कैडर समीक्षा का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, इस प्रकार से भर्ती योजनायें बनाना जिससे भविष्य में पदोन्नति की बाधाओं से बचा जा सके तथा साथ ही अंतराल निर्माण को रोका जा सके, और कैडर का पुनर्गठन करना ताकि कर्मियों की वैध कैरियर अपेक्षाओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं हेतु सामंजस्य स्थापित किया जा सके और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि भा.पु.से.[18] एवं दि.अ.नि.द्वी.पु.से.[19] पदों के लिये कैडर समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों में नियमित रूप से की जा रही है लेकिन निम्न/उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध मे कैडर समीक्षा हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त, अब तक उच्च एवं निम्न अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु कोई कैडर समीक्षा भी नहीं की गयी है।

सरकार को दिल्ली पुलिस के उच्च एवं निम्न अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये नियमित कैडर समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि उच्च/निम्न अधीनस्थ के लिए कैडर समीक्षा नहीं की जाती है क्योंकि यह जरुरत के आधार पर उनके पदों के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रही है जिसके चलते जनशक्ति प्रस्ताव काफी हद तक लंबित थे। इसके अलावा, कैडर समीक्षा का वैध कैरियर अपेक्षाओं के साथ कार्यात्मक जरुरतों को पूरा करने के सामंजस्य की ओर लक्षित है।

---

[18] भारतीय पुलिस सेवा

[19] दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पुलिस सेवा

3.7. पुलिस आवास

अगस्त 2019 तक, दिल्ली पुलिस के पास लगभग 80,000 कर्मियों के लिए आवंटन हेतु केवल 15,360 आवास उपलब्ध थे। इन 15,360 आवासों में से, 380 आवासों को खतरनाक घोषित किया जा चुका है तथा उन्हें तोड़ा भी जाना था एवं अन्य 1,276 आवास आधारभूत सुविधायों के अभाव में आवंटित नहीं किये गये थे।

शेष 13,704 आवासों में से, केवल 1371 आवास खाली थे तथा आवंटन के लिये उपलब्ध थे। हालांकि 1371 खाली आवासों के प्रति आवंटन के लिये 7900 आवेदन लंबित थे।

15,360 आवासों के अलावा, यह देखा गया कि छः स्थानों पर केवल 701 आवासों का निर्माण चल रहा है और अन्य 399 आवास नियोजन स्तर पर हैं जो कि संतोषजनक स्तर को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, नियोजन चरण के अंतर्गत और निर्माणाधीन, आवासों दोनों की कुल संख्या आवंटन के लिये लंबित आवेदनों की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।

दिल्ली पुलिस को पुलिस आवास निर्माण की योजना को इस तरह से बनानी चाहिये कि आवासों के लिए लंबित आवेदनों की सूची को कम किया जा सके और आवास संतुष्टि स्तर को सुधारा जा सके।

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि 5,548 कर्मचारी आवास निर्माणाधीन/योजना स्तर पर हैं तथा इन आवासों के पूरा होने के पश्चात आवासीय संतुष्टि स्तर 19 *प्रतिशत* से बढ़कर 27 *प्रतिशत* हो जायेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ कर्मिको के लिए डीएसआईआईडीसी[20] से बने हुए घर खरीदने की स्वीकृति दी थी। दिल्ली पुलिस भी इसी तर्ज पर फ्लैटों की खरीद के लिए डीएसआईआईडीसी/रा.रा.क्षे.दि. से सम्पर्क कर सकती है। इसके अलावा, सरकार साथ लगते एनसीआर कस्बों में फ्लैटों की खरीद पर भी विचार कर सकती है, जहां 49000 से अधिक बिना बिके आवास उपलब्ध थे (मार्च 2020)।

3.8. स्थानान्तरण/तैनाती

दिल्ली पुलिस में पुलिस अधिकारियो एंव कर्मचारियों के स्थानान्तरण/तैनाती से संबंधित दिल्ली पुलिस के स्थाई आदेश (अक्टूबर, 2010) के अनुसार,

[20] दिल्ली राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम

स्थानान्तरण एंव तैनाती के लिये दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों को श्रेणी 'क' (कार्यकाल 3-6 वर्ष), श्रेणी 'ख ' (कार्यकाल 3 वर्ष), श्रेणी 'ग ' (कार्यकाल 3,2 व 1 वर्ष) इत्यादि श्रेणियों में विभाजित किया है।

लेखापरीक्षा ने स्थायी आदेशों के अनुपालन की जांच करने के लिए छः चयनित जिलों में तैनात यादृच्छिक रूप से चयनित 1,310 पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण/ तैनाती रिकॉर्ड की जांच की। इसमें यह पाया गया कि इन 1,310 पुलिस कर्मियों में से, 271 कर्मियों ने वर्तमान तैनाती में अपने कार्यकाल को एक वर्ष से अधिक का समय पार कर लिया था। इस प्रकार निरीक्षण जाँच किए गए 21 *प्रतिशत* मामलों में नीति में स्पष्ट किये गये स्थानांतरण/तैनाती नीति के स्थायी आदेशों का पालन नहीं किया गया था, जिससे जनशक्ति के इष्टतम उपयोग तथा पुलिस कर्मियों को बहुविध अनुभव प्राप्त करवाने का उद्देश्य विफल रहा। एक वर्ष से अधिक के कार्यकाल वाले मामलों को आगे विश्लेषण करने में पाया गया कि अधिकतम संख्या यानि 124 मामले विशेष इकाइयों के निर्दिष्ट कार्यकाल से 2-4 वर्ष की परिधि की सीमा में आते हैं।

3.9. निष्कर्ष

जहां तक प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों के आंकड़ों का सवाल है, दिल्ली पुलिस अन्य राज्य पुलिस बलो की तुलना में बेहतर स्थिति में है। चूंकि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित नई उभरती और विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है, जनशक्ति के अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि, दिल्ली पुलिस बल का मौजूदा आकार प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या के मामले में अन्य राज्यों की पुलिस से बड़ा है। यह संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसित पर प्रति लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस कर्मी से अधिक है।

तथापि दिल्ली पुलिस ने मौजूदा लगभग 90,000 संस्वीकृत संख्या के अलावा 50,000 से अधिक पदों की स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है, दिल्ली पुलिस की गैर-नियोजित और अनियमित भर्तियों के कारण, संस्वीकृत संख्या (10 *प्रतिशत* से अधिक की नियमित रिक्त पदों) के करीब अपनी वास्तविक संख्या बनाये रखने में विफल रही है।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस अपने पुलिस कर्मियों की तैनाती से संबंधित मामलों से जूझती है, जैसे कि पुलिस जिलों के जिला मुख्यालय में अधिशेष स्टाफ की तैनाती जबकि पुलिस स्टेशनों में 35 *प्रतिशत* की कमी थी (पैराग्राफ 4.3 में चर्चा की गई), कॉल्स उठाने वाले स्थिति जिसे उचित आउटसोर्स कार्मिक को सौंपा जा

सकता है के स्थान पर पुलिस कर्मी को लगाना (पैराग्राफ 5.4), स्टेशन से उनके अनुपस्थिति के दौरान पीपी को नियमित आधार पर प्रदत्त सुरक्षा (पैराग्राफ 8) आदि।